



पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड

Power Grid Corporation of India Limited

सूचना का अधिकार अभिनियम 2005 के अंतर्गत केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी

Central Public Information Officer under the RTI Act, 2005

केन्द्रीय कार्यालय, 'सौदामिनी', प्लॉट नं.2, सेक्टर-29, गुडगांव, हरियाणा-122001

Corporate Centre, 'Saudamini', Plot No. 2, Sector-29, Gurgaon, Haryana-122001

CIN : L40101DL1989GOI038121



दिनांक: 18 September, 2023

PGCIL/R/E/23/00297

Ranjeet Kumar,  
Ht,-Narainpur Post-Kurmichak, PS-Ghoswari, Dist-Patna

विषय: सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत जानकारी ।

महोदय / महोदया,

कृपया आर.टी.आई. अधिनियम, 2005 के तहत दिनांक 16 August, 2023 को प्राप्त अपने आर.टी.आई. अनुरोध का संदर्भ लें ।

उपरोक्त पत्र में वांछित जानकारी अनुलग्नक-1 में संलग्न है ।

यह उल्लेख किया जा सकता है कि अधोहस्ताक्षरी 13-15 सितंबर, 2023 तक दौरे पर थे। 18 September, 2023 को कार्यालय में पुनः शामिल होने के बाद, उत्तर तुरंत भेजा जा रहा है।

यदि आप केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी के उत्तर से संतुष्ट न हों तो, केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी के उत्तर की प्राप्ति के 30 दिनों के भीतर पहले अपील प्राधिकारी के सम्मुख अपील की जा सकती है। आर.टी.आई अधिनियम, 2005 के तहत केंद्रीय कार्यालय, गुडगांव में अपील प्राधिकारी का विवरण निम्नानुसार है:

श्री बी.अनंत शर्मा

कार्यपालक निदेशक (केंद्रीय आयोजना एवं सी. एस.) एवं अपील प्राधिकारी

केंद्रीय कार्यालय, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड,

सौदामिनी, प्लॉट नंबर-2, सेक्टर-29, गुडगांव-122001, हरियाणा।

ईमेल आईडी: appellate.cc@powergrid.co.in

फोन नंबर: 0124-2571994

धन्यवाद,

भवदीय,  
( ) जगन्नाथ राव  
18/9/23

(ए. जगन्नाथ राव)

मुख्य महाप्रबंधक (केंद्रीय आयोजना) एवं  
केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी

Email ID: cplo.cc@powergrid.co.in

**Sub: Reply to RTI Request of Sh. रंजीत कुमार, पटना, बिहार  
(RTI Regn. No. PGCIL/R/E/23/00297)**

Sl. No.	Information sought:	Reply:
1.	पोवेर्गृड मे प्रयवेक्ष मे कितने दिव्यांग है उसके विवरण दे	No. of regular Supervisors and Supervisor Trainees who are physically challenged are 54.
2.	पोवेर्गृड मे दिव्यांग कर्मचारी के साथ उत्पीड़न होता है तो इसके लिए क्या दंड है	उपरोक्त के संबंध में यह सूचित किया जाता है कि पावरग्रिड में नोडल अधिकारी की नियुक्ति की गई है। यदि कोई दिव्यांगजन उत्पीड़न से संबंधित मामला/ शिकायत नोडल अधिकारी के या अन्य किसी सक्षम अधिकारी के संज्ञान में लाता है तो उस पर नियमसंगत कार्रवाई करने का प्रावधान है।
3.	पोवेर्गृड , इक्वल ऑपर्चुनिटी पॉलिसी मे 3.5 (ब) मे दिव्यांग को दी जाने वाली सुविधा ,उत्तर क्षेत्र-1 मे कितने कर्मचारी को लाभ दिया गया उसके लिस्ट द	Information provided by NR-I directly to applicant on 23.08.2023.

\*\*\*\*\*

आकाश  
18/09/2023